# किचेन और शौचालय का पानी फिर होगा इस्तेमाल

पटना | वरीय संवाददाता

राजधानी समेत सूबे के सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में पानी की कमी से निपटने के लिए राज्य सरकार अनोखा रास्ता अपनाएगी। इसके तहत एक हजार वर्गमीटर या इससे अधिक क्षेत्र के निजी आवासीय भवनों और 15 फ्लैट से अधिक वाले अपार्टमेंट में किचेन एवं शौचालय के पानी को साफ कर उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके लिए पानी साफ करने वाला उपकरण लगाना होगा। उपकरण समेत पूरे सिस्टम के रखरखाव के लिए सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। गंदे पानी को साफ कर उपयोग में लाने को बढ़ावा देने और ताजा पानी बचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार बायलॉज बना रही है।

उपकरण के माध्यम से किचेन और शौचालय से निकलने वाले पानी को साफ कर दोबारा उसी घर में भेजा जाएगा और उसे उपयोग में लाया जाएगा। पेयजल और गैरपेयजल के लिए अलग-अलग पाइप लाइन होगी।

## शहरों में बेकार नहीं बहेगा गंदा पानी

### यहां हो सकता है उपयोग

शौचालय के फ्लश, किचेन के सिंक, वॉश बेसिन और पौधों की सिंचाई में

### इन पर लागू होगा नया नियम

- एक हजार वर्गमीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय मकान
- एक परिसर में 15 अथवा इससे अधिक मकान या फ्लैट रहने पर
- जिस आवास में जमा होने वाले जल की मात्रा 7500 लीटर से अधिक हो

### ये होगा लाभ

- ताजा जल का अनुचित प्रयोग रोकना संभव होगा। • तेजी से नीचे जा रहे जलस्तर को ठीक रखने में भी सहायक होगा।

### औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी लगेगा उपकरण

नए बायलॉज के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऐसी मशीन लगाई जाएगी, जिससे यह पता चल जाएगा कि नियम-कानून के मुताबिक वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है या नहीं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के डिस्चार्ज वाटर के लिए मानक तय किए जाएंगे। इसकी जांच के लिए मशीन लगाई जाएगी। डिस्चार्ज वाटर का सैंपल लेकर उसकी जांच की जाएगी।

### साफ किए गए पानी की गुणवत्ता की भी जांच

गंदे पानी को साफ कर इसे पीने के काम में नहीं लाया जाएगा, बल्कि इसका उपयोग बाकी दूसरे कार्यों के लिए किया जा सकता है। नया बायलॉज आवासीय, व्यावसायिक और अन्य तरह के परिसरों पर लागू होगा। गंदा पानी और साफ किए जाने के बाद पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए भी उपकरण रखा जाएगा।

प्रेम कुमार, नगर विकास एवं आवास मंत्री